संख्या-51/2024/आई/777078/2024/001-23-14002(002)/12/2024

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 22.10.2024**

विषय:-चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 79 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-671सी/339सी-गन्ना अमरोहा भाग-5/24-25, दिनांक 23.08.2024, पत्रांक-740सी/338 सी-गन्ना मुरादाबाद भाग-1/24-25, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-741सी/395 सी-सम्भल/24-25, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-742सी/341 सी-गन्ना बिजनौर भाग-1/24-25, दिनांक 29.08.2024, पत्रांक-816सी/340 सी-गन्ना-रामपुर भाग-2/24-25, दिनांक 02.09.2024, पत्रांक-953सी/339 सी-गन्ना-अमरोहा भाग-2/24-25, दिनांक 09.09.2024, पत्रांक-954सी/338 सी-गन्ना मुरादाबाद भाग-2/24-25, दिनांक 09.09.2024 एवं पत्रांक-956सी/341 सी-गन्ना बिजनौर भाग-6/24-25, दिनांक 09.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से प्राप्त अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 79 कार्यो, जिनके सम्मुख कॉलम-8 में 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित कार्य की अंकित लागत, जिसका कुल योग रू0 5732.46 लाख (रूपये सत्तावन करोड़ बत्तीस लाख छियालीस हजार मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कॉलम-9 में अंकित कुल रू0 1780.59 लाख (रू0 सत्रह करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य योजना का क्रमांक	जनपद	मार्ग का नाम/ प्रोजक्ट कोड	लम्बाई किमी में	निर्माण की लागत	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत	कुल लागत (6+7)	प्रस्तावित धनावंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	159	प्रा0ख0 बिजनौर	झलरी-नंगली मार्ग एवं फरीदपुर भौरू मार्ग	1.30	60.81	3.71	64.52	20.07
2	161	प्रा0ख0 बिजनौर	मिर्जापुर पल्ल मार्ग से नीन्दड़ू वाजिदपुर होते हुए अजीतपुर दासी मार्ग। (202400003100436)	2.90	104.92	7.62	112.54	34.62
3	162	प्रा0ख0 बिजनौर	धामपुर नहटौर मार्ग से मिलक जहांगीराबाद मार्ग।	2.45	88.43	6.42	94.85	29.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	165	प्रा0ख0 बिजनौर	मोमिनपुर दर्गो से छोईया मार्ग	1.20	45.69	2.81	48.50	15.08
5	166	प्रा0ख0 बिजनौर	हल्दौर नांगल जट मार्ग से इस्सापुर मार्ग	1.35	51.13	3.71	54.84	16.87
6	172	प्रा0ख0 बिजनौर	ग्राम बिलाई से नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग	1.20	53.45	3.88	57.33	17.64
7	173	प्रा0ख0 बिजनौर	शरीफपुर से ताहरपुर मार्ग	1.55	90.56	3.96	94.52	29.88
8	177	प्रा0ख0 बिजनौर	बुडेरन से देवता के आश्रम तक	1.80	65.74	4.77	70.51	21.69
9	178	प्रा0ख0 बिजनौर	मलकपुर बुडेरन से रामनगर टांडा मार्ग	1.75	64.00	4.65	68.65	21.12
10	179	प्रा0ख0 बिजनौर	बुडेरन से रामनगर टांडा मार्ग	1.30	59.37	4.31	63.68	19.59
11	180	प्रा0ख0 बिजनौर	ठाठजट से बक्शनपुर की ओर	1.55	58.68	3.90	62.58	19.36
12	181	प्रा0ख0 बिजनौर	बसेड़ा कुवर मार्ग	1.65	59.03	4.29	63.32	19.48
13	196	प्रा0ख0 बिजनौर	रामपुर विडार से महमूदपुर मार्ग	1.90	69.12	5.02	74.14	22.81
14	200	प्रा0ख0 बिजनौर	मण्ड़ावली से चान्दपुर नौआबाद	1.35	51.14	3.20	54.34	16.88
15	209	प्रा0ख0 बिजनौर	नौरंगीबाग रोड(धर्मनगरी) से नवलपुर रोड तक	1.50	53.19	3.86	57.05	17.55
16	392	नि0ख0- 1 मुरादाबाद	स्योडारा मार्ग से बनियाठेर ग्राम तक	0.70	58.44	2.19	60.63	19.29
17	393	नि0ख0- 1 मुरादाबाद	बिलारी सिरसी रोड से अलीनगर मार्ग	1.64	71.49	5.19	76.68	23.59
18	400	नि0ख0- 1 मुरादाबाद	मुरादाबाद रामपुर रोड से रफातपुर मार्ग	1.15	89.56	3.82	93.38	29.55
19	544	प्रा0ख0 सम्भल	गुरैठा भिरावटी रोड से बुंझिया (202400003100437)	1.70	127.39	8.04	135.43	42.04
20	545	प्रा0ख0 सम्भल	तारापुर (पथरा) प्रा0स्कू0 से चन्दौली बदॉयू रोड तक	0.60	46.76	1.98	48.74	15.43
21	546	प्रा0ख0 सम्भल	गवां बबराला शुगर मिल से केन यार्ड मार्ग	1.25	68.57	4.88	73.45	22.63
22	547	प्रा0ख0 सम्भल	बिलालपत मार्ग से खानपुर बन्द मार्ग	1.50	74.70	5.18	79.88	24.65
23	171	प्रा0ख0 बिजनौर	मिठान हरदासपुर गढ़ी मार्ग से लाडनपुर बागानांगल सम्पर्क मार्ग	1.22	54.58	3.96	58.54	18.01
24	174	प्रा0ख0 बिजनौर	फरीदपुर से पाली मार्ग	1.07	49.37	2.68	52.05	16.29

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

25	175	प्रा0ख0 बिजनौर	तकीपुरा से रूगड़ी मार्ग	1.85	68.63	4.52	73.15	22.65
26	176	प्रा0ख0 बिजनौर	झालू से गांगखेड़ी मार्ग प्रथम द्वितीय भाग	2.20	81.18	5.89	87.07	26.79
27	183	प्रा0ख0 बिजनौर	मानपुर शिवपुरी से कासमाबाद मार्ग	1.76	64.20	4.66	68.86	21.19
28	184	प्रा0ख0 बिजनौर	बढ़पुरा से सलेमसराय मार्ग	1.89	68.77	4.99	73.76	22.69
29	185	प्रा0ख0 बिजनौर	अजीतपुरदासी शुगर मिल से जैतरा मार्ग	0.81	61.33	4.45	65.78	20.24
30	186	प्रा0ख0 बिजनौर	सफीपुर नंगली से चौहड़पुर नहटौर पैजनिया मीमला भट्टे मार्ग	1.00	45.35	2.63	47.98	14.97
31	187	प्रा0ख0 बिजनौर	जगुपुरा पोटी रोड से चाकरपुर सलावा तिराहे तक	1.87	78.94	5.73	84.67	26.05
32	188	प्रा0ख0 बिजनौर	दीतनपुर से नंगला भज्जवाला	1.40	70.64	4.09	74.73	23.31
33	189	प्रा0ख0 बिजनौर	चान्दपुर फीना मार्ग से रूकनपुर मार्ग (202400003100438)	2.51	123.18	7.10	130.28	40.65
34	191	प्रा0ख0 बिजनौर	टुंगरी से हीमपुर दीपा	2.15	82.31	5.45	87.76	27.16
35	192	प्रा0ख0 बिजनौर	सलेमपुर जलीलपुर मार्ग से गुरूद्वारे तक	1.61	70.13	4.08	74.21	23.14
36	194	प्रा0ख0 बिजनौर	इब्राहिमपुर क्रेशर से वीरवलपुर मार्ग	1.59	72.34	5.25	77.59	23.87
37	195	प्रा0ख0 बिजनौर	ताजपुर से गुनिया खेड़ी मार्ग	2.00	75.44	5.19	80.63	24.90
38	197	प्रा0ख0 बिजनौर	गंज-फतेहपुर मार्ग पर नहर पुल से फरीदपुर भोगन मस्जिद तक तक	0.88	55.30	2.32	57.62	18.25
39	199	प्रा0ख0 बिजनौर	पेदी से मौमिनपुर दर्गो-गड़ाना मार्ग	1.43	56.25	3.11	59.36	18.56
40	201	प्रा0ख0 बिजनौर	बाकरपुर क्रय केन्द्र से मो0 पुर देवमल	1.50	53.43	3.88	57.31	17.63
41	202	प्रा0ख0 बिजनौर	जुड्डी मार्ग (202400003100439)	2.50	99.72	6.46	106.18	32.91
42	204	प्रा0ख0 बिजनौर	उलेढ़ा तालाब के पश्चिम से मुकरपुर	1.08	40.39	2.77	43.16	13.33
43	205	प्रा0ख0 बिजनौर	चान्दपुर रोड से मुबारकपुर तालन	1.75	76.81	4.91	81.72	25.35
44	206	प्रा0ख0 बिजनौर	छाछरी से चकफतेहपुर मार्ग	1.95	73.03	4.99	78.02	24.10
45	207	प्रा0ख0 बिजनौर	सलेमपुर से मीरापुर	1.95	88.65	4.76	93.41	29.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46	208	प्रा0ख0 बिजनौर	फुलसन्दा से फुलसन्दी	2.25	93.45	5.81	99.26	30.84
47	210	प्रा0ख0 बिजनौर	रानीपुर माचकी मार्ग	2.05	80.53	5.85	86.38	26.57
48	522	नि0ख0 रामपुर	बिलासपुर मिलक मार्ग से फाजलपुर मार्ग।	0.85	41.50	3.01	44.51	13.70
49	523	नि0ख0 रामपुर	हरसुनगला से नहर की पुलिया तक मार्ग।	1.20	61.42	4.46	65.88	20.27
50	524	नि0ख0 रामपुर	अलीनगर से फैजुल्लापुर मार्ग	0.40	20.77	1.51	22.28	6.85
51	525	नि0ख0 रामपुर	धमौरा रठोंडा मार्ग से मैनी	1.20	76.27	5.54	81.81	25.17
52	6	नि0ख0 अमरोहा	जलालपुर से कैलसा बार्डर तक	0.77	28.69	2.08	30.77	9.47
53	7	नि0ख0 अमरोहा	करौंदी मार्ग से सिहांली मार्ग प्रथम भाग	1.20	46.78	3.40	50.18	15.44
54	8	नि0ख0 अमरोहा	अमरोहा अतरासी मार्ग से मेहन्दी होते हुये दुर्गपुर तक	1.20	68.12	3.66	71.78	22.48
55	9	नि0ख0 अमरोहा	चांदनगर रतनपुर मार्ग से पीपलीकला जूनियर हाईस्कूल मार्ग	1.05	49.94	2.76	52.70	16.48
56	395	प्रा0ख0 मुरादाबाद	मुरादाबाद काँठ मार्ग से भीकनपुर कूरी रवाना मार्ग	1.06	50.99	3.70	54.69	16.83
57	396	प्रा0ख0 मुरादाबाद	पाकबाड़ा अमरोहा रोड से गुरेठा तक	1.25	78.28	4.41	82.69	25.83
58	397	प्रा0ख0 मुरादाबाद	नसीरपुर-हरीनूरपुर से उमरी पी.डब्लू.डी. मार्ग की ओर प्रथम भाग	1.00	38.84	2.82	41.66	12.82
59	398	प्रा0ख0 मुरादाबाद	अकबरपुर चौराहे से नया गांव की ओर संपर्क मार्ग	1.30	79.02	3.99	83.01	26.08
60	399	प्रा0ख0 मुरादाबाद	ढकिया जट में कुरेशियान मस्जिद से बुढनपुर मार्ग	1.15	79.41	4.45	83.86	26.21
61	212	नि0ख0-2 बिजनौर	झलरी-नसीरी से छितावर मार्ग	1.20	41.06	2.98	44.04	13.55
62	215	नि0ख0-2 बिजनौर	एन.एच. 74 से भागीजोत सम्पर्क मार्ग द्वितीय भाग	1.38	62.86	4.56	67.42	20.74
63	216	नि0ख0-2 बिजनौर	धींगरपुर आसराखेड़ा मार्ग	1.60	73.88	4.58	78.46	24.38
64	217	नि0ख0-2 बिजनौर	खानपुर से भोगपुर मार्ग	1.53	68.07	3.88	71.95	22.46
65	218	नि0ख0-2 बिजनौर	बुढ़नपुर न्यामताबाद मार्ग द्वितीय भाग	1.76	77.94	5.13	83.07	25.72
66	219	नि0ख0-2	पालनपुर मण्डौरी रोड से	1.15	40.83	2.96	43.79	13.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		बिजनौर	स्योहारा रियासत तक					
67	220	नि0ख0-2 बिजनौर	गावड़ी से रतनपुरा मार्ग	1.30	61.10	3.73	64.83	20.16
68	221	नि0ख0-2 बिजनौर	हुसैनपुर कला मार्ग	1.26	65.34	3.82	69.16	21.56
69	223	नि0ख0-2 बिजनौर	हामानंगली से किवाड़ द्वितीय भाग	1.60	78.48	4.99	83.47	25.90
70	224	नि0ख0-2 बिजनौर	रहमापुर मार्ग से मुस्सेपुर मार्ग	1.65	74.56	3.04	77.60	24.60
71	225	नि0ख0-2 बिजनौर	रायपुर खास रजवाह (नहर की पट्री) से ग्राम दिनौड़ी से लेकर ग्राम सबलपु बीतरा तक	1.85	74.69	5.42	80.11	24.65
72	226	नि0ख0-2 बिजनौर	जाफराबाद से लालवाला (202400003100440)	1.80	96.28	4.91	101.19	31.77
73	229	नि0ख0-2 बिजनौर	समीपुर से चीनी मिल फार्म तक	1.80	88.15	4.22	92.37	29.09
74	233	नि0ख0-2 बिजनौर	नकीपुर से नाईवाला	1.50	66.47	3.71	70.18	21.94
75	234	नि0ख0-2 बिजनौर	अकबराबाद-बुन्दकी मार्ग से अलीपुर जट	1.55	54.51	3.84	58.35	17.99
76	235	नि0ख0-2 बिजनौर	असलमपुर भुल्लन से मोल्हड़वाला मार्ग	1.50	67.82	3.68	71.50	22.38
77	236	नि0ख0-2 बिजनौर	नया गांव से असलमपुर भुल्लन (202400003100441)	0.90	150.76	4.41	155.17	49.75
78	237	नि0ख0-2 बिजनौर	नकीपुर से गढ़ी चमरान सम्पर्क मार्ग	1.50	75.38	3.69	79.07	24.88
79	238	नि0ख0-2 बिजनौर	चमरू नवादा से शमशान तक	1.85	61.41	4.46	65.87	20.27
	योगः-			117.87	5395.74	336.72	5732.46	1780.59

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
5. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
7. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
8. मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
9. यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अंतर्गत है।
10. निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित मार्गों के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
12. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित निर्माण ट्रैफिक सर्वे के अनुसार चौड़ीकरण हेतु पी०सी०यू० मानकों का पूर्णतः पालन करते है।
13. परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोतरी न हो इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करना तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्तिच किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।
16. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
17. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की मात्राओं का यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओ के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
18. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत स्वीकृत की गयी है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सडक की लम्बाई एवं चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
19. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
20. विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
21. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
22. लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23. परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

24. उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।
25. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वर्तमान में विधान सभा उप चुनाव 2024 के दृष्टिगत प्रदेश में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये **17,80,59,000 (रू0 सत्रह करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या **058 लेखाशीर्षक 5054043371355** चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मागों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/ नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-231-X-2024-25, दिनांक 9-10-2024 में प्राप्त वित्त विभाग के सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- प्रमुख अभयिन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
17- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in